प्रेषक :

पीठासीन अधिकारी,
श्रम न्यायालय,उ0प्र0,
बरेली।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
बरेली।

पत्र संख्या–291 / श्र0न्या0ब0 / 14 दिनांक– 02/08/2014

महोदय,

आपके पत्र संख्या–2360(46) दिनांक–22.07.2014 के सन्दर्भ में आप द्वारा मांगी गई विभाग से संबंधित जानकारियों की सूचना प्रेषित की जा रही है जो निम्नवत् है :–

1– **विभाग का परिचय, विभाग में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।**

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय,उ0प्र0,188,सिविल लाइन्स,बरेली। इस न्यायालय में मजदूर व मालिक के बीच विवादों से सम्बन्धित दायर वादों को निर्णीत किया जाता है। इस विभाग में कोई योजनाएं संचालित नहीं हैं।

2– **आर0टी0आई0 से सम्बन्धित बिन्दुवार सूचना (संलग्न प्रपत्र के अनुसार)।**

संबंधित सूचना संलग्न प्रपत्र में।

3– **समस्त विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति।**

इस न्यायालयमें कोई भी विभागीय योजनाएं लागू नहीं हैं।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक – प्रपत्र।

भवदीय,

पीठासीन अधिकारी।
श्रम न्यायालय,उ0प्र0,बरेली।
Presiding Officer
Labour Court (U.P.)
BAREILLY

DIO (NIC)

संलग्नक **प्रपत्र**

2– आर0टी0आई0से सम्बन्धित बिन्दुवार सूचना :–

(बिन्दु संख्या)

(1) कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय,उ0प्र0,बरेली। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्तर्गत उत्पन्न औद्योगिक झगडों के फलस्वरूप प्राप्त सन्दर्भादेश को निर्णीत करना। उक्त वाद के निपटारे में श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाना।

(2) श्रम कार्यालय से प्राप्त संदर्भादेशों को पक्षों की सुनवाई के पश्चात् निर्णीत/एवार्ड पारित किया जाना। वाद से सम्बन्धित श्रमिकों के हितों की रक्षा करना तथा न्यायालय के वादों का शीघ्रताशीघ्र निर्णय करना। प्राप्त संदर्भादेशों व वादों को कर्मचारियों द्वारा दर्ज रजिस्टर में पंजीयन करते हुये संबंधित पक्षकारों को सम्मन नियत तिथि के पूर्व प्रेषित करना व पक्षों को बुलाने हेतु नोटिस भेजा जाना। वाद निर्णय के पश्चात् उसके प्रकाशन हेतु संबंधित विभाग को समय से प्रेषित करना तत्पश्चात् पक्षकारों को अविलम्ब निर्णय की प्रति प्रेषित किया जाना। माह की समाप्ति पर वेतन व वेतन संबंधित लाभ इत्यादि समय से प्राप्त किया जाना।

(3) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के श्रोत्र सहित निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली कोई प्रकिया नहीं है।

(4) कार्यों को करने हेतु अपनाये गये मानक नहीं हैं।

(5) कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नियमों,निर्देशों और अभिलेखों आदि का विवरण नहीं है।

(6) निस्तारित पत्रावलियां रिकार्ड रूम के रैक में तथा चल रही पत्रावलियां लोहे की आलमारियों में रखी जाती हैं।

(7) नीति निर्धारण के लिये जनता से परामर्श सुझाव लेने का प्रबन्ध नहीं है।

(8) विभाग में सलाह देने के लिये दो या दो से अधिक सदस्यों की समितियों आदि का विवरण तथा यह भी कि उनकी बैठकें जनता के लिये नहीं खुली हैं और न ही उनकी कार्यवाहियों जन सामान्य के लिये उपलब्ध हैं।

(9) पीठासीन अधिकारी (पद रिक्त)

कमशः..........

कर्मचारियों का विवरण :–

श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, आशुलिपिक।

श्री मायाराम, वरिष्ठ सहायक (न्यायालय)

श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक (कार्यालय)

श्री महेश प्रसाद मौर्य,कनिष्ठ सहायक

श्री अभिनन्दन जौहरी, अर्दली

(10) पीठासीन अधिकारी (पद रिक्त)

क0सं0	वेतनमान व नाम,पदनाम	मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल मूल वेतन	विशेष भत्ता	अन्य भत्ता	प्रोत्साहन भत्ता	मंहगाई भत्ता	आवास भत्ता	नगर भत्ता	कुल वेतन (शुद्ध वेतन)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	(9300–34800) श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा,आशुलिपिक	16,800	4,600	21,400	_	300	450	21,400	2,760	180	46,490
2-	(5200–20200) श्री मायाराम,वरिष्ठ सहायक	12,740	2,800	15,540	_	_	_	15,540	1,670	120	32,870
3-	(5200–20200) श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव,वरिष्ठ सहायक	10,270	2,400	12,670	50	300	210	12,670	1,470	120	27,490
4-	(5200–20200) श्री महेश प्रसाद मौर्य, कनिष्ठ सहायक	8,960	2,400	11,360	_	_	_	11,360	1,470	120	24,310
5-	(5200–20200) श्री अभिनन्दन जौहरी,अर्दली	8,730	2,400	11,130	_	_	_	11,130	1,470	120	23,850

(11) विभाग के अन्तर्गत अभिकरणों का बजट तथा योजनाओं प्रस्तावित व्यय एवं किये गये भुगतान का कोई विवरण नहीं है।

(12) आवंटित धन एवं लाभार्थियों के विवरण सहित अनुदान कार्यक्रमों को संचालित करने का तरीका नहीं है।

(13) छूट प्राप्त करने वालों का कोई विवरण नहीं है।

(14) इलैक्ट्रोनिक प्रारूप में रखी गई सूचना का कोई विवरण नहीं है।

(15) सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें नहीं है।

(16) जनसूचना अधिकारी का नाम– पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय,उ0प्र0,बरेली (पद रिक्त)

(17) नियमों के अन्तर्गत अन्य कोई सूचना नहीं है।